(1)

न्यायालय समक्ष- माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

निगरानी क्र0- R 2589-III/14 सन्-2013-14

रामचरन तनय सरजू कुर्मी

निवासी ग्राम मौराहा तह0व जिला छतरपुर म0प्र0 ... निगरानीकर्ता

बनाम

1- गौरीशंकर तनय स्व0 धुंरी कुर्मी

निवासी ग्राम मौराहा तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0

2- मध्य प्रदेश शासन ... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार छतरपुर प्र0 क्र0 7/अ-6अ/13-14 पारित आदेश दिन 12-6-14

17/8

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A-2589-पीबीआर/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-8-15	आवेदक की ओर से श्री के०के० द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक क्र०१ की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पेनल अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अनावेदक गौरीशंकर पुत्र स्व०श्री धुरी कुर्मी निवासी-मौराहा तह० छतरपुर द्वारा वर्ष 1968-69 में हुई प्रविष्टि का सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र तह० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दिनांक 10-1-14 को प्रस्तुत हुआ। दिनांक 10-1-2014 को अनावेदक की ओर से उक्त प्रस्तुत आवेदन पर आपत्ति आवेदन आवेदक श्री रामचरन कुर्मी द्वारा दिनांक-11-4-14 को प्रस्तुत कर तहसीलदार के समक्ष आपत्ति ली गई कि "भू-राजस्व संहिता की धारा 116(1) के अंतर्गत प्रविष्टि दिनांक से एक वर्ष के अन्दर प्रविष्टि संशोधन किये जाने हेतु आवेदन करने का प्रावधान है किन्तु संशोधन आवेदन 45 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है ऐसी दशा में आवेदन दिनांक 10-1-2014 निरस्त करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार छतरपुर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन दिनांक-11-4-2014 का त्वरित निराकरण न करते हुए अपने आदेश दिनांक 12-6-2015 से आपत्ति आवेदन दिनांक 11-4-14 का निराकरण मूल आदेश के साथ किये जाने का निर्णय लिया। जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस न्याया० में प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में संक्षिप्त उक्त तथ्यों के संबंध में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क-श्रवण किये गये।	18/5 [signature] [signature] 18-5-15

[कृ. प. उ.

R-2589/14 रामधन / गौरीशंकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश छतरपुर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि 45 वर्ष बाद प्रविष्टि संशोधन का आवेदन नहीं दिया जा सकता एवं प्रस्तुत आपत्ति आवेदन का निराकरण भी त्वरित किया जाना चाहिए जो तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया इसके अतिरिक्त वही तथ्य दुहराये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं। अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आपत्ति आवेदन दिनांक 11-4-14 पर जो निर्णय लिया है वह सही है इस कारण यह निगरानी प्रकरण निरस्त किया जावे। शासन० अभिभाषक द्वारा भी अनावेदक अभिभाषक के तर्कों से सहमति व्यक्त की गई। उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन दिनांक 11-4-14 का निराकरण न किया जाकर इस तथ्य पर भी निर्णय नहीं लिया गया कि प्रकरण प्रचलन योग्य है या नहीं। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में तहसीलदार छतरपुर को आदेशित किया जाता है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन दिनांक 11-4-2014 पर संज्ञान लेते हुए भू-राजस्व संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विधि अनुकूल इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि प्रकरण प्रचलनयोग्य है या नहीं? आपत्ति आवेदन दिनांक 11-4-2014 का तीन माह में निराकरण करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य (हस्ताक्षर) 17/8	

स्थायी—60—कॉपी—3-5-11—10,000 प्रपत्र.